



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 07.08.2026

थाना को0देहात पर पूर्व में पंजीकृत जिम जिहाद से सम्बन्धित गैंग लीडर-इमरान द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी अनुमानित मूल्य 01 करोड़ 50 लाख की अचल सम्पत्ति(जमीन) अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व हिस्ट्रीशीटर/गैंग लीडर के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम में दिनांक: 07.08.2026 को नायब तहसीलदार कोराव जनपद प्रयागराज, थानाध्यक्ष पड़री-प्रदीप कुमार सिंह व थाना कोराव पुलिस टीम सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग लीडर-इमरान पुत्र इशरार खान निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति ग्राम कोराव जनपद मीरजापुर अंतर्गत मौजा तिरसठ में आराजी नम्बर 01ख रकबा 1:05960 हे0 जमीन (सह खातेदार) अनुमानित मूल्य ₹ 01 करोड़ 50 लाख को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।

आपराधिक इतिहास —

गैंग लीडर इमरान उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 906/2015 धारा 323,34,379,420,467,468,471,504,506 भा0द0वि0 थाना पड़री मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0 341/2023 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कैण्ट जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0- 149/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी० भादवि थाना को0कटरा मीरजापुर।
4. मु0अ0सं0 304/2025 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।
5. मु0अ0सं0- 387/2025 धारा 318(4),115(2),352,351(3),324(4),324(5) बीएनएस थाना को0कटरा मीरजापुर।
- 6.-मु0अ0सं0-32/2026, धारा-319(2),318(4).338,336(3),340(2),64(1),308(5),352,351(2),61(2),111,238 बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना को0देहात मीरजापुर।
- 7-मु0अ0सं0-33/2026, धारा-319(2),318(4).338,336(3),340(2),64(2)(जे),308(5),352,351(2)61(2),111,238 बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना को0देहात मीरजापुर।
- 8-मु0अ0सं0-234/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना को0देहात मीरजापुर।

